

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्प:-

आदलत सेवा बन्द-पांमला खूद

प्रकरण सं:- 92/2018

दिनांक:- 11.6.2018

क्रमांक:- लो.अदा./2018/ 1436

आदेश

वादी के वाद पत्र एवं पटवारी पांमला खूद व भू.अ.नि. पांमला खूद

की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान

काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अनुसरण में ग्राम अलखाडी

तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत् 2071-74 में खाता संख्या 41 में

वर्तमान में अशुद्ध प्रविष्टि माना 57 रुकमा <sup>माना 3 रु</sup> के स्थान पर मानाराम 57

रुकमाराम दर्ज किये जाने के आदेश पारित किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन

सहायक कलक्टर, सिणधरी

दिनांक:- 11/06/2018

क्रमांक:- लो.अदा./2018/ 1437-39

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में असल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री मानाराम / रुकमाराम निवासी अलखाडी तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन

सहायक कलक्टर, सिणधरी